

उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन - 2023, कानपुर देहात

जुलूस / रैली के आयोजन के लिए अनुरोध

तहसील	निकाय	वार्ड
उम्मीदवार श्रेणी <input type="checkbox"/> अध्यक्ष <input type="checkbox"/> सदस्य	उम्मीदवार का नाम व राजनैतिक दल का नाम / निर्दलीय	
पिता का नाम	मोबाइल नम्बर	
उम्मीदवार की आवेदक आई.डी.	उम्मीदवार का फॉर्म नम्बर	
आयोजक का नाम व पता (जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है)		
अनुमानित खर्च (रुपये में)		
जुलूस / रैली की तारीख	जुलूस / रैली शुरू होने का समय	जुलूस / रैली समाप्ति का समय
जुलूस / रैली का मार्ग		
विशिष्ट अतिथियों के नाम (यदि कोई हो)		
स्टार प्रचारक का नाम (यदि कोई हो)		
जुलूस / रैली में अनुमानित व्यक्तियों की संख्या	जुलूस / रैली में अनुमानित वाहनों की संख्या	
लाउडस्पीकरों की संख्या		
जुलूस / रैली में प्रयुक्त होने वाले कुर्सी, मेज, टेंट आदि सभी सामग्रियों का विवरण		

आवेदक / उम्मीदवार का नाम व हस्ताक्षर

आवेदन की तारीख

रिटर्निंग ऑफिसर की मुहर व हस्ताक्षर

अनुदेश

- नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन - 2023 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा घोषित प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने की स्थिति में सुसंगत धाराओं में एफ आर आर दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

आवेदक / उम्मीदवार की स्वीकारोक्ति

- मैं यह स्वीकार करता / करती हूँ और सहमति देता देती हूँ कि मैंने इस आवेदन की सभी शर्तों को पूरी तरह से पढ़ने और समझने के बाद इसमें हस्ताक्षर किये हैं। इस आवेदन में भरी गयी सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सत्य हैं। कोई भी जानकारी अवांछनीय होने पर या असत्य पाए जाने पर यह आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- मैं यह स्वीकार करता / करती हूँ और सहमति देता देती हूँ कि मैंने राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन - 2023 के लिए जारी आदर्श आचार संहिता में उल्लिखित सभी नियम व शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है तथा उन सभी नियमों व शर्तों का अक्षरशः पालन करूंगा / करूंगी।।

आवेदक / उम्मीदवार का नाम व हस्ताक्षर

आवेदन की तारीख

रिटर्निंग ऑफिसर का मंतव्य

मैंने इस आवेदन में आवेदक / उम्मीदवार द्वारा दी गयी सभी सूचनाओं को सत्यापित कर लिया है, तथा उस आधार पर मैं इस आवेदन को

- अनुमोदित करता हूँ
- निरस्त करता हूँ

कारण, यदि निरस्त किया गया है तो

रिटर्निंग ऑफिसर की मुहर व हस्ताक्षर

अनुमोदन / निरस्त करने की तारीख